

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अठारह'

[28/2/2018]

प्रश्न सं. [क. 622]

सदन में उत्तर देने का दिनांक :28.02.2018
प्रपत्र-“अ”

विषय :- खराब एवं बंद पड़े ट्रांसफार्मरों की जानकारी। अत्याधिक विधानसभा प्रश्न क्रमांक 622 द्वारा माननीय विधायक श्री हरदीपसिंह ङ्ग

गरोठ संचालन/संधारण संभागीय कार्यालय के सुचारु विधानसभा क्षेत्रांतर्गत चलने/खराब होने के कारण बंद पड़े अपात्र ट्रांसफार्मरों की सूची

क्रमांक	रजिस्टर नम्बर	वितरण केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम	लोकेशन	ट्रांसफार्मर क्षमता (क.वी.ए.) में	ट्रांसफार्मर फेल होने की दिनांक	ट्रांसफार्मर से जुड़े कुल उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की संख्या	फेल होने की दिनांक को बकाया राशि (रुपये में)
1	108	धामनिया दिवान	छायन	गांव वाला	63	01.06.17	77	66	408809
2	220	धामनिया दिवान	चांदखेडी	गांव वाला	100	28.06.17	25	9	66164
3	394	चन्दवासा	गागसी	रोड वाला डीएल	63	23.08.17	78	78	287786
4	510	धामनिया दिवान	आकली शिवदास	गांव वाला	25	25.10.17	19	19	91651
5	646	धामनिया दिवान	डुंगरखेडी	गांव वाला	25	05.11.17	46	46	692116
6	652	धामनिया दिवान	बरखेडा उदा	गांव वाला 1	25	12.11.17	20	20	100058
7	653	धामनिया दिवान	बरखेडा उदा	गांव वाला 2	25	12.11.17	71	71	432976
8	678	धामनिया दिवान	कुण्डला खुर्द	गांव वाला	63	28.11.17	25	25	91313
9	679	धामनिया दिवान	कुण्डला खुर्द	सरदारसिंह वाला	25	28.11.17	18	18	127167
10	684	चन्दवासा	गरडा	गांव वाला 1	25	30.11.17	16	16	159172
11	685	चन्दवासा	गरडा	गांव वाला 2	25	30.11.17	22	22	220201
12	686	चन्दवासा	लालपुरा	गांव वाला	25	06.12.17	61	61	331680
13	695	धामनिया दिवान	भुण्डिया	रोड के पास वाला 1	25	30.11.17	39	39	322431
14	696	धामनिया दिवान	भुण्डिया	रोड के पास वाला 2	25	02.12.17	52	52	560683
15	713	धामनिया दिवान	रामखेडी	नई आबादी वाला	25	15.12.17	39	39	249610
16	717	चन्दवासा	असावती	हनुमान मन्दिर वाला	25	18.12.17	65	65	177457
17	718	चन्दवासा	तोलाखेडी	छेरे वाला	25	18.12.17	27	27	192302
18	738	धामनिया दिवान	रामखेडी	पुरानी आबादी वाला	25	15.12.17	69	69	1008542
19	763	चन्दवासा	गोपालपुरा	गांव वाला	63	10.01.18	55	55	362085
कुल योग									5882203

आति. मुख्य अभियंता (विधानसभा)



अवर सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 622

माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह उंग


बैठक दिनांक 28/02/2018

जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं की बिलिंग हेतु लागू नियम।

किसी वितरण ट्रांसफार्मर के जलने/खराब होने अथवा शत-प्रतिशत बकाया राशि के कारण हटाए जाने की स्थिति में यदि बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण ऐसे ट्रांसफार्मर से 1 कैलेण्डर माह में 10 दिवस लगातार या उससे अधिक अवधि हेतु विद्युत प्रदाय बन्द रहता है तो उससे संबद्ध विद्युत बिलों के भुगतान में चूक नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :-

- (1) मीटरयुक्त उपभोक्ता से ऊर्जा प्रभारों की वसूली मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर की जाती है तथा विद्युत शुल्क और उपकर को छोड़कर अन्य प्रभारों की वसूली उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय दिवसों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से की जाती है।
- (2) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की ऊर्जा प्रभार की बिलिंग निर्धारित मासिक खपत (नामर्स) के अनुसार प्रयोज्य मासिक ऊर्जा प्रभार की, विद्युत प्रदाय दिवसों की संख्या के आधार पर अनुपातिक राशि के अनुसार तथा विद्युत शुल्क एवं उपकर को छोड़कर अन्य प्रभारों की वसूली भी विद्युत प्रदाय दिवसों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मर से संबद्ध अन्य उपभोक्ता जिन्होंने विद्युत बिलों के भुगतान में चूक की है, की बिलिंग अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान प्रचलित टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार फिक्सड चार्ज, न्यूनतम प्रभार, मीटर किराये के लिये की जाती है। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर यह जाँच की जाती है कि वह उसी जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मर से संबद्ध था तथा ऐसा निश्चित होने पर ही उक्तानुसार बिलिंग की जाती है।


अवर सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल